कार्यालय अंचल अधिकारी, गाण्डू (रामगढ)

C.C NO. -335/2004-05

अभिलेख उपास्थापित।

S.B.I, Kuju द्वारा श्री देवी राम मांझी पिता-श्री बंशी मांझी पता Kuju के विरूद्ध राशि मो0 3837/- (तीन हजार आठ सौ सैंतीस रूपये) वसुली हेतु निलाम पत्र वाद दायर किया गया है।

पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 827 दिनांक 19/07/24 द्वारा शाखा प्रबंधक S.B.I, Kuju को पंजी IX से X के मिलान हेतु पत्र दिया गया, परन्तु इतने पत्रों के बाद भी उनके द्वारा पंजी IX एवं X के मिलान हेतु कोई कदम नही उठाया गया। जिस कारण IX से X का मिलान नही हो पाया। फलस्वरूप यह नही पता चल पाया कि बकायेदार पर कितना राशि बकाया है तथा कितना वसुल की गई है। इस कार्यालय संबंधित कार्यवाहक लिपिक अद्योहस्ताक्षरी के निदेश पर रटिस्टर IX से X से मिलान हेतु संबंधित बैंक में भेजा गया, परन्तु बैंक की किसी कर्मी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी अभिरूचि नही ली गई है। जिस कारण पंजी IX से X का मिलान नही हो पाया। बकाया राशि का अद्यतन राशि की जानकारी नही हो पायी।

अतः उपरोक्त परिरिथति में प्रथम पक्ष की अभिरूचि नही लेने एवं निलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा दिये गये निदेश का उल्लघंन करने तथा वाद का काफी दिनों से लंबित रहने के कारण इस वाद को स्थगित किया जाता है।

इसकी सूचना शाखा प्रबंधक, S.B.I, Kuju .... /LDM, रामगढ़ तथा मुख्य प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, रॉची को दें।

उक्त प्रतिवेदन के आलोक में इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

12/11/24

अंचल अधिकारी
–सह–
निलाम पत्र पदाधिकारी
गाण्डू

Digitally signed by VIMAL KUMAR SINGH
Date: 2024.11.29 12:47:49 +05:30
Location: 10.93.158.164

Scanned with OKEN Scanner